GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 2280
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 11TH DECEMBER, 2015
20, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)

REVISING CORPORATE TAX STRUCTURE

2280. SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA:
SHRI ASADUDDIN OWAISI :
SHRIMATI VANAROJA R.:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether his Ministry has chalked out a roadmap for phasing out several exemptions including reducing benefits to accelerate depreciation in some sectors and ending sops for development of SEZ that are not operational, if so, the details thereof;

(b) the benefits accrued by the corporate sector on account of exemptions during the last three years and the current year;

(c) whether India is having higher corporate tax as compared to Russia, China and South Korea; and

(d) if so, the steps taken or being taken by the Government to reduce further corporate tax to make it investment friendly?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JAYANT SINHA)

(a) Yes, Madam. Ministry of Finance has chalked out a plan for phasing out of several deductions which is as under:

(i) Profit linked, investment linked and area based deductions will be phased out for both corporate and non-corporate tax payers.

(ii) The provisions having a sunset date will not be modified to advance the sunset date. Similarly the sunset dates provided in the Income-tax Act will not be extended.

(iii) In case of tax incentives with no terminal date, a sunset date of 31.3.2017 will be provided either for commencement of the activity or for claim of benefit depending upon the structure of the relevant provisions of the Income-tax Act.

(iv) There will be no weighted deduction with effect from 01. 04.2017.

(b) The revenue impact of the benefit accrued to the corporate sector on account of various deductions available under the Income-tax Act are quantified in the Statement of Revenue Impact of Tax Incentives under the Central Tax System which forms part of the annual budget documents presented to the Parliament. As per the said statement, the revenue impact of tax incentives for corporate tax payers is as under:

Financial Year	**Revenue impact of tax incentives after considering Minimum Alternate Tax (Rs. in crore)**
2012-13	68720
2013-14	57793
2014-15(estimated)	62398.6
2015-16	Data not available

(c) Yes, Madam.

(d) The Finance Minister in his Budget Speech, 2015 has announced that the rate of corporate tax will be reduced from 30% to 25% over the next four years along with corresponding phasing out of exemptions and deductions. Accordingly, the phasing out plan as mentioned in (a) above has been placed in the public domain for seeking comments/suggestions from various stake holders.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2280
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 2015/20 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

<u>कॉर्पोरेट कर ढांचे की समीक्षा करना</u>

2280. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्रीमती आर.वनरोजा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने कुछ क्षेत्रकों में मूल्य गिरावट को त्वरित करने के लिए लाभों को कम करने सहित कई छूट को समाप्त करने और गैर-संचालित एसईजैड के विकास हेतु रियायत समाप्त करने हेतु कोई रुपरेखा तैयार की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छूटों के कारण कॉर्पोरेट क्षेत्रक द्वारा प्राप्त लाभ क्या है;
(ग) क्या भारत में रुस, चीन और दक्षिण कोरिया की तुलना में उच्चतर कॉर्पोरेट कर है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कॉर्पोरेट कर को निवेशी अनुकूल बनाने के लिए और इसमें कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) जी हां। वित्त मंत्रालय ने कई प्रकार की कटौतियों को चरणबद्ध रुप से समाप्त करने की योजना बनाई है जो निम्न प्रकार से है:
(i) कॉरपोरेट तथा गैर-कॉरपोरेट दोनों प्रकार के करदाताओं के लिए लाभ से जुड़ी, निवेश से जुड़ी तथा क्षेत्र आधारित कटौतियों को चरणबद्ध रुप से समाप्त किया जाएगा।
(ii) सनसेट डेट को आगे बढ़ाने के लिए सनसेट डेट के उपबंध संशोधित नहीं किए जाऐंगे। इसी प्रकार, आयकर अधिनियम में दी गई सनसेट डेट की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

(iii) ऐसे मामलों में कर प्रोत्साहन देने हेतु जिनमें कोई अंतिम तारीख नहीं होती उनमें आय कर अधिनियम के संगत उपबंधों की संरचना के आधार पर कार्यकलाप के आरंभ अथवा लाभ के दावे के लिए 31.3.2017 की एक सनसेट डेट का प्रावधान किया जाएगा।

(iv) दिनांक 1.4.2017 से कोई भारित कटौती नहीं होगी।

(ख) आयकर अधिनियम के अंतर्गत कॉरपोरेट क्षेत्र को उपलब्ध विभिन्न कटौतियों के कारण मिलने वाले लाभ के राजस्व प्रभाव को, केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के विवरण में परिमाणनीय किया गया है, जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक बजट दस्तावेजों का एक अंश होता है। उपर्युक्त विवरण के अनुसार कॉरपोरेट करदाता के लिए कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	न्यूनतम वैकल्पिक कर पर विचार करने के बाद कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में)
2012-13	68720
2013-14	57793
2014-15(अनुमान)	62398.6
2015-16	डाटा उपलब्ध नहीं

(ग) जी हां।

(ड.) वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण, 2015 में घोषणा की थी कि तदनुरुपी छूटों तथा कटौतियों को समाप्त करते हुए अगले चार वर्षों में कॉरपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। तदनुसार, उपर्युक्त (क) में उल्लिखित किए अनुसार चरणबद्ध समाप्ति योजना को विभिन्न पणधारियों की टिप्पणी/सुझाव हेतु सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।